128

माननीय राजस्व मंडल

मध्य प्रदेश ग्वालियर

निग ०१०२-III/९७

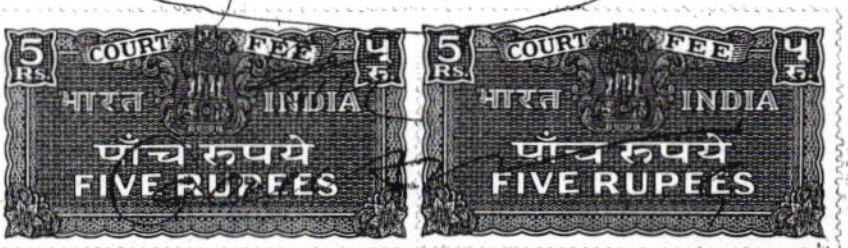

FIVE RUPEES FIVE RUPEES

C.F.B. 10/-

श्री जयकरण सिंह आत्मज श्री भगवान सिंह मृत द्वारा वारिसान

1:- मुसा0 रामा सिंह वेवा स्व0 जयकरण सिंह

2:- राघवेन्द्र प्रतापसिंह पुत्र स्व0 जयकरण सिंह

3:- श्री मती सुधा सिंह पुत्री जयकरण सिंह

सभी निवासी ग्राम लालपुर तह0अमरपाटन जिला-सतना म0प्र0

----------आवेदकगण

बनाम

श्री गिरवर सिंह मृत द्वारा वारिसान

1:- श्री बेटाई सिंह पिता गिरवर सिंह उम्र 65 साल

2:- श्री विष्णुप्रताप सिंह पिता गिरवर सिंह उम्र 62 साल

3:- बब्बू सिंह पिता गिरवर सिंह उम्र 59 साल

4:- श्रीमती वैइया देवी पुत्री गिरवर सिंह उम्र 55 साल

5:- श्री जगनन्दन सिंह पिता श्री गिरवर सिंह उम्र 50 साल

सभी का पेशा खेती सभी निवासी ग्राम वरैह पीटला टोला जरिये कर्ताखानदान

श्री बेटाईसिंह उम्र 60 साल पेशा खेती निवासी ग्राम वरैह पीटला टोला तह0अमरपाटन जिला-सतना म0प्र0 ----------------------अना0गण

निगरानी हस्व धारा 50 म0प्र0रा0सं0
खिलाफ आदेश अपर आयुक्त संभाग रीवा
दिनांक 27-3-97 जो द्वितीय अपील प्रकरण क्र0 30/
अपील /ऐ-46/81-82 में पारित हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय,

यह निगरानी जिस आदेश ...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1949–तीन/03 जिला –सतना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23.8.16	आवेदक अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। अनावेदक पूर्व से एक पक्षीय है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकराण कमांक 30/अपील/अ–46/81–82 में पारित आदेश दिनांक 27.3.97 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण के पिता गिरवर सिंह जिनका देहान्त दौरान अपील हो गया था। आवेदक तथा अन्य खिलाफ तहसील अमर पाटन में तारीख 1.4.76 को एक दावा धारा 190/110 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा के तहत दिया कि ग्राम वरेंह पीटला टोला स्थित खसरा नंबर 18 रकवा 0.80 डि0 का आधा 0.40 डिस0 आ0 न0 32 रकवा 0.077 का एक तिहाई 0.26 डिस0 आराजी न0	

40 नंबर रकवा 1.30 डिस0 का आधा 0.65 डिस0 आ0 न0 41 रकबा 0.64 डिस0 का आधा 0.32 डिस0 तथा आ0 न0 43 रकवा 0.25 डिस0 का वह शिकमी कास्तकार है। अतः उन्हें उक्त आराजियात का भूमिस्वामी घोषित करने का निगरानी मेमों में निवेदनं किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के यहां से आपसी सहमति से भूमि का अदला बदली की गई है तथा एक दूसरे को कब्जा सौंपा गया है इसी से परिवेदित होकर जयकरण सिंह आदि द्वारा अपर आयुक्त के यहां अपील प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 27.3.97 को आपसी अदला बदली सहमति होने से उनके द्वारा अपील निरस्त की गई है इसी के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण कर दिया जावे। अनावेदक पूर्व से एक पक्षीय है।

4- आवेदक अधिवक्ता के निवेदन पर पकरण का अध्ययन करने पाया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में उभयपक्ष के मध्य सहमति से भूमि की अदला बदली की गई तथा एक दूसरे को कब्जा सौंपा गया है । इसका उललेख अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में वर्णन किया गया है। उनके द्वारा लेख किया गया है कि

आपासी सहमति से भूमि का अदला बदली की गई है । सहमति के आदेश के विरूद्ध अपील करने का प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा प्रकरण समाप्त किया गया । अतः मैं उनके आदेश से सहमत हूँ और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की गुंजाइश नहीं समझता हूँ। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से समाप्त की जाती है । अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 27.3.97 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख के साथ वापस की जावे।

सदस्य